

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269293  
SG-DL-E-12012026-269293असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/ पौष 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 406
No. 10]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/ PAUSHA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 406

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसंभागीय आयुक्त कार्यालय,  
राजस्व विभाग, (जनगणना शाखा)  
दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

एफ. 36(146)/ जनगणना/ मंडलायुक्त/2025/949.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना स. 2/1/60 न्या के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख कॉलम (3) में दर्शाए गए पदनाम के साथ अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना 2027 के संचालन, सहायता अथवा निरीक्षण हेतु सहर्ष जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

## अनुसूची

क्र. सं.	प्राधिकारी	जनगणना पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला मजिस्ट्रेट	प्रधान जनगणना अधिकारी	संपूर्ण क्षेत्र उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	जिला जनगणना अधिकारी	संपूर्ण क्षेत्र उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
3.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट	उप-जिला जनगणना अधिकारी	संपूर्ण क्षेत्र उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल सहर्ष उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जनगणना- अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करते हैं।

3. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल सहर्ष उपरोक्त नामित प्राधिकारियों को लिखित में यह घोषणा हस्ताक्षरित करने का अधिकार प्रदान करते हैं कि उनके द्वारा किसी व्यक्ति को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी क्षेत्र के लिए विधिवत रूप से जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

4. जनगणना अधिनियम 1948, की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, कोई जनगणना अधिकारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सहायता जनगणना के संचालन में कानूनी तौर पर आवश्यक हो और वह इस अधिनियम अथवा इसके अधीन किसी नियम के तहत उसे आवंटित कार्य करने से इंकार करता है, अथवा कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार का कोई भी कार्य करने से रोकता है या बाधा डालता है, एक हजार रुपये तक जुर्माना के दंड का भागी होगा तथा सज़ा की स्थिति में कारावास के दंड का भागी होगा जो तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

आदेश एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली  
के नाम से

नीरज सेमवाल, सचिव-राजस्व विभाग

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER,

Revenue Department (Census Branch)

NOTIFICATION

Delhi, 9 January, 2026

**F. 36(146)/Census/Div. Comm/2025/949.** — In exercise of the power conferred by sub-section(2) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 2/1/60-Judl.II, dated 20<sup>th</sup> April, 1960 the Lieutenant Governor, NCT of Delhi is pleased to appoint the Officers mentioned in Column (2) of the Schedule below as Census-officers with the designation shown against each in Column(3) and thereof, to take, or aid in, or supervise the taking of , the Census of India 2027 within their respective area of jurisdiction mentioned against each in Column (4) of the said Schedule given below:

**SCHEDULE**

<b>Sl.No.</b>	<b>Authority</b>	<b>Census Designation</b>	<b>Area of Jurisdiction</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	District Magistrates	Principal Census Officer	Entire area under their respective Jurisdiction
<b>2.</b>	Additional District Magistrates	District Census Officer	Entire area under their respective Jurisdiction
<b>3.</b>	Sub-Divisional Magistrates	Sub-District Census Officer	Entire area under their respective Jurisdiction

2. In exercise of the power conferred by sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor is further pleased to delegate to the Officers noted at Column (2) of the above Table the powers of appointing Census-Officers within their respective jurisdictions.

3. Further, in exercise of the power under sub-section (3) of the Section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor is also pleased to authorize the authorities named above to sign a declaration in writing that any person has been duly appointed a Census Officer by him for any area under their respective jurisdictions.

4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act 1948, any Census-Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to him/her under this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

By order and in the name of Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi

**NEERAJ SEMWAL, SECRETARY (Revenue),**